मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद्
Cheif Minister and Council of Minister
Article-163-164

Article-163

→ राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद् होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।

NOTE:-

→ राज्यपाल अपनी स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर मंत्रीपरिषद् की सलाह पर कार्य करेगा।

Article-163(2)

→ राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियों के संबंध में न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है।

Article-163(3)

→ राज्यपाल को मंत्री परिषद् ने क्या दी इसे किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा।

Article-164

- मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद् की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।

- साधारणतः बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं।

[मंत्रीपरिषद् की संख्या
Number of Council of Ministers]

- मंत्री परिषद् की अधिकतम् संख्या विधान सभा का 15% से अधिक नहीं और न्यूनतम संख्या 12. (91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम् से यह प्रावधान हुआ)।

NOTE:-

- राज्यपाल मंत्री परिषद् में निम्नलिखित 4 राज्यों (उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश (अनुच्छेद-164)) एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करेगा यह मंत्री अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का कल्याण करेगा।

(बिहार को 94वें संविधान संशोधन 2006 के माध्यम् से इसमें से हटा दिया गया)

[मंत्री परिषद् की योग्यता
Qualification of Council of Ministers]

→ मंत्री पद की कोई योग्यता नहीं है परन्तु मंत्री बनने के 6 महीनें के अंदर व्यक्ति को विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य बनना होगा।

→ Supreme Court ने B.R. Kapoor बनाम तमिलनाडु राज्य 2001 में यह निर्णय दिया कि मंत्री वही व्यक्ति बने जो विधान सभा का सदस्य बनने की प्रारंभिक योग्यता रखता हो।

[मंत्री परिषद् का कार्यकाल
Term of Council of Ministers]

→ मंत्री परिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए जिम्मेदार होता है।

→ सामन्यत: मंत्री परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

→ व्यक्तिगत मंत्री राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होता है।

मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, नीति आयोग, अंतर्राजीय परिषद्, विकास परिषद् का सदस्य होता है

Article- 167

[मुख्यमंत्री के कर्तव्य
Duties of Cheif Minister]

→ मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा राज्य सरकार के विधान और कार्यपालिका संबंधी कार्यों की सूचना राज्यपाल को दें।

[मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद् की शपथ
Oath of the Cheif Minister and Council of Minister]

→ राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद् के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

[राज्य सरकार के कार्य
Bussiness of the state Government]

Article-166

→ राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं।

Article-167.

→ मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार के कार्यों की सूचना राज्यपाल को दे।

Article- 165

[राज्य का महाधिवक्ता Advocate General.]

→ यह राज्य सरकार का वकील और प्रथम विधि अधिकारी होता है।

[राज्य का महाधिवक्ता का योग्यता Qualification of Advocate General]

→ High Court के जज की योग्यता अनुच्छेद-217 में।
→ High Court के जज के बराबर होती है।
→ भारत का नागरिक हो।
→ 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहा हो।
→ 10 वर्ष तक Highcourt का वकील रहा हो।

[राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति Appointment of Advocate General]

→ राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है।

[राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल
Term of Advocate General.]

→ राज्यपाल के इच्छा तक।

→ महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल निर्धारित करते हैं।

[राज्य के महाधिवक्ता का कार्य
Bussiness of the Advocate General]

→ राज्य सरकार का वकील होता है।

→ राज्य सरकार का पक्ष सभी न्यायालयों में रखता है।

→ विधान मंडल में किसी भी सदन कार्यवाही में भाग ले सकता है।

भाग - 8 (Article - 239-241)

संघ और उसके राज्य क्षेत्र
Union and its Territories

केन्द्रशासित प्रदेश
Union Territories

→ केन्द्रशासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जो सामरिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक, संस्कृति दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं।

नाम	गठन	कार्यपालिका	विधायिका	न्यायपालिका	
अंडमान निकोबार	1956	उपराज्यपाल (Lt. Governor)	नहीं	कलकत्ता High Court	
दिल्ली	1956	उपराज्यपाल (Lt. Governor)	विधान सभा + मुख्यमंत्री	दिल्ली High Court	69th 1991 NCT-NCR.
लक्ष्यद्वीप	1956	प्रशासक (Administrator)	नहीं	केरल High Court	
दादर नगर हवेली & दमन द्वीप	2020	प्रशासक (Administrator)	नहीं	बाम्बे High Court	2020
पुदुच्चेरी	1962	उपराज्यपाल (Lt. Governor)	विधान सभा + मुख्यमंत्री	मद्रास High Court	
चंडीगढ़	1966	प्रशासक (Administrator)	नहीं	पंजाब & हरियाणा	
जम्मू & कश्मीर	2019	उपराज्यपाल (Lt. Governor)	विधान सभा + मुख्यमंत्री	J&K	90 seat
लद्दाख	2019	उपराज्यपाल (Lt. Governor).	नहीं	J&K	

Article - 239.

→ केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रशासन करेगा या राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा।

Ariticle - 239(A)

→ केन्द्रशासित प्रदेशों में विधायिका का बनाना संसद का काम है।

Article - 239(AA)

[दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
Special provision With respect to Delhi]

→ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वे संविधान संशोधन 1991 से बनाया गया।

→ दिल्ली में एक विधायिका है विधायिका में 70 सदस्य होते है।

→ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
मंत्री परिषद् विधानसभा का अधिकतम 10% हो सकती है।

→ दिल्ली की विधायिका राज्यसूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है परन्तु लोक व्यवस्था पुलिस और जमीन को छोड़कर।

Article - 239 (AB)

[केन्द्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन
President's Rule in Union territories]

- यदि केन्द्रशासित प्रदेश का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो उपराज्यपाल या प्रशासक राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है।

Article - 239 (B)

- केन्द्रशासित प्रदेशों में अध्यादेश उपराज्यपाल जारी करता है परन्तु उपराज्यपाल को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है।

Article - 240

- कुछ केन्द्रशासित प्रदेश राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, पुदुच्चेरी के लिए विशेष कानून का निर्माण कर सकता है।

Article - 241.

- केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए संसद High court का गठन कर सकता है।
- संसद किसी राज्य के साथ उनके High court का प्रावधान कर सकता है।

भारत में न्यायपालिका (Judiciary in India)

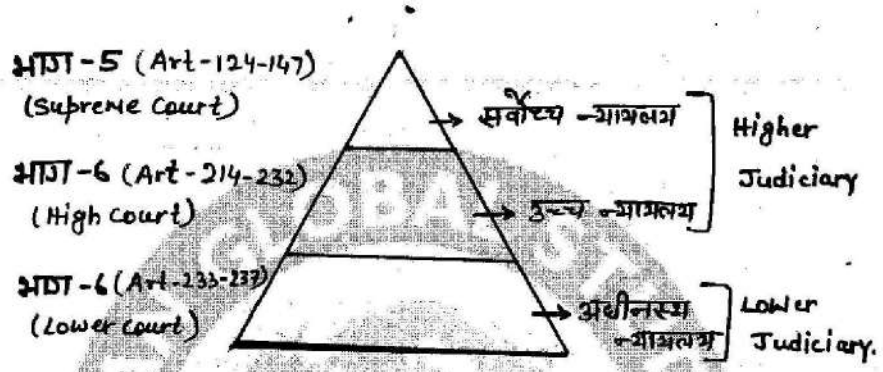

→ भारत में एकीकृत न्यायपालिका है।

→ अमेरिका मे केन्द्र और राज्य की अलग-अलग न्यायपालिका है।

→ भारत में केन्द्र और राज्य की न्यायपालिका जुड़ी हुई है।

→ Supreme Court न्याय की सर्वोच्च संस्था है।

→ High Court न्यायिक रूप से Supreme Court का अधीनस्थ है।

NOTE:-

→ 1935 के अधिनियम से भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था शुरू की गई।

→ भारत मे पहला Supreme Court की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में की गई थी।

→ 1800 में मद्रास में, 1823 में बाम्बे में।

NOTE:-

→ प्रथम Supreme Court के मुख्य न्यायधीश लॉर्ड एलिजा इम्फे थे इसके अलावा तीन अतिरिक्त न्यायधीश (1+3) लॉर्ड हाईड, लिम्बेस्टर, चैम्बर्स थे।

→ 1861 में High court Act आया जिसके माध्यम से 1862 में कलकत्ता मद्रास और बाम्बे में High court की स्थापना की गई।

[redacted]

→ भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 01 Oct, 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय (Federal court) की स्थापना की गई।

→ यह भारत में [redacted] न्याय का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन (Privacy council) में की जा सकती थी।

→ संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायधीश मोरिस ग्वेयर थे।

भाग - 5 (Article- 124 - 147)

सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court

NOTE:-

→ वर्तमान Supreme Court की स्थापना 28 Jan 1950, यह दिल्ली में स्थित है।

→ इसके प्रथम मुख्य न्यायधीश हीरालाल जे कानिया थें।

Article- 124

→ भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।

NOTE:-

→ भारत के मुख्य न्यायधीश राष्ट्रपति की सहमति से Supreme Court की सुनवायी (पीठ) कही भी कर सकते है।

→ Supreme Court का स्थान अनुच्छेद-130 में है।

Article- 124 (1)

→ Supreme Court में 7 जज और 1 मुख्य न्यायधीश होंगें (7+1) = 8 जज।

→ जजों की संख्या का प्रावधान संसद करेगा!

S.No.	जज	वर्ष	S.No.	जज	वर्ष
1.	8	1950	5.	26	1986
2.	11	1956	6.	31	2009
3.	14	1960	7.	34	2019.
4.	18	1977	8.	×	×

→ वर्तमान में जजों की संख्या 33 अन्य न्यायधीश + 1 मुख्य न्यायधीश हैं।

सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीशों की योग्यता
Qualification of Supreme Court Judges

→ भारत का नागरिक हो!

→ 5 वर्ष तक High court में जज रहा हो!

या

→ 10 वर्ष तक Supreme Court में वकील रहा हो!

या

→ जाना-माना विधिवेत्ता हो राष्ट्रपति की नजर में!

NOTE :-

→ Justice S.M. Sikri Justice U.U. Lalit Justice Indu Malhotra आदि ऐसे जज रहे जो Supreme Court में वकील से न्यायधीश बने!

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति
Appointment of Justices of the Supreme Court

- राष्ट्रपति मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायधीशों से सलाह लेकर Supreme Court के न्यायधीशों की नियुक्ति करता है।

NOTE:-

क्या राष्ट्रपति सलाह करने के लिए बाध्यकारी है?

1982 एस॰ पी॰ गुप्ता बनाम भारत सरकार (1st Judges Case)

- Supreme Court ने निर्णय दिया राष्ट्रपति मुख्य न्यायधीश की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है।

1993, एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड (2nd Judges Case)

- Supreme Court ने निर्णय दिया की राष्ट्रपति मुख्य न्यायधीश और अन्य 2 जजों के साथ सलाह करने बाद ही supreme court के न्यायधीशों की नियुक्ति करेगा।
- यह सलाह बाध्यकारी है।
- इस केस से ही कॉलजेयिम व्यवस्था की शुरूआत हुई (3 कालेजियम जज थे)।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

1998, के० आर० नारायण के संबंध में (3rd Judge Case)

- इस केस में Supreme Court ने कॉलेजियम की संख्या में वृद्धि कर दी जिसमें एक मुख्य न्यायधीश और 4 अन्य न्यायधीश।
- वर्तमान में यही व्यवस्था है।
- मुख्य न्यायधीश को 4 जजों से सलाह से करना आवश्यक है।
- सन् 2000-2002 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया जिसने भारत में राष्ट्रीय न्यायिक न्युक्ति आयोग (NJAC- National Judicial Appointment Commission) का गठन किया जाए।
- सन् 2014 में 120वाँ संविधान संशोधन विधेयक कॉग्रेस लेकर आयी लेकिन विधेयक पारित नहीं हो सका।
- 2015 में मोदी सरकार 121वाँ संविधान संशोधन विधेयक लेकर आयी जो कि 99वाँ संविधान संशोधन बना जिसके माध्यम से NJAC गठित किया गया।

NJAC - National Judicial Appointment Commission

NJAC
- Article-124(A)
- Article-124(B)
- Article-124(c)

Article - 124(A)

[NJAC की संरचना
Structure of NJAC]

→ कुल 6 सदस्य होगें।

2 - Supreme Court के जज

2 - विधिशास्त्री

1 - मुख्य न्यायधीश (अध्यक्ष होगें)

1 - विधि मंत्री

Article - 124(B)

[NJAC के कार्य
Functions of NJAC]

→ Supreme Court / High court के जजो की नियुक्ति।

Article - 124(C)

→ संसद बदलाव करेगा।

2015, Supreme Court एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड (4th Judges Case)

→ इस केस में 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया और NJAC को समाप्त कर दिया।

NOTE:-

→ वर्तमान में supreme court के न्यायधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति
Appointment of cheif Justice of Supreme court.

- मुख्य न्यायधीश हमेशा वरिष्ठतम न्यायधीश होता है!
- दो बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है!
  1. 1973 → Justice A.N. Ray.
  2. 1977 → Justice M.U. Begh.
- वर्तमान में सिर्फ वरिष्ठ न्यायधीश को ही मुख्य न्यायधीश बनाया जाता है!
- वर्तमान में मुख्य न्यायधीश Justice D.Y. Chandrachud.
- भारत में आज तक supreme court में कोई महिला मुख्य न्यायधीश नहीं बनीं!
- 2027 में B.V. Nagarathna सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायधीश बन सकती है!
- आज तक भारत में 11 महिला न्यायधीश बन चुकी है!
- सबसे पहली महिला न्यायधीश फातिमा बीबी!
- वर्तमान में 3 महिला न्यायधीश है supreme court में हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी, B.V. Nagarathna.!

सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश की शपथ
Oath of the cheif Justice of the supreme Court

- Supreme court के न्यायधीशों को शपथ दिलाने का कार्य भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है।
- जज संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं।

सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश का कार्यकाल
Term of the office of cheif Justice of supreme Court

- Supreme Court के जजों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है (वर्षों में) ये 65 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करते हैं।
- त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं।
- इन्हें बीच मे पद से हटाया जा सकता है।
- मृत्यु होने पर पद खाली हो सकता है।

NOTE:-
- जजों को हटाने के प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहते हैं।

[सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया
Removal of the cheif Justice of the supreme court.]

→ Supreme Court / High Court के जजो को दुर्व्यवहार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है !

NOTE:-

→ न्यायधीश जाँच अधिनियम 1968 में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया है !

→ जजो को हटाने की प्रक्रिया न्यायधीश जाँच अधिनियम 1968 में दी गई है !

→ न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरु हो सकती है लोकसभा के लिए 100 सदस्य, राज्यसभा के लिए 50 सदस्य यदि सदन का अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इसके बाद एक समिति गठित की जाती है !

→ समिति में 3 सदस्य होते है !

1. Supreme court का मुख्य न्यायधीश !
2. High court का कोई न्यायधीश !
3. विधि शास्त्री !

→ इस समिति का गठन सदन का अध्यक्ष करता है !

→ यदि समिति जज को दोषी पाती है तो संसद का प्रत्येक सदन अपने पूर्ण बहुमत (50%+1) तथा 2/3 का उपस्थित और मतदान के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा !

→ यदि दोनो सदनों से प्रस्ताव पारित होता है तो जज को हटा हुआ मान लिया जाता है!

NOTE:-

→ न्यायधीश को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है!

→ जज अपना पक्ष स्वयं या किसी के द्वारा रख सकता है!

→ आज तक भारत में किसी भी न्यायधीश को नहीं हटाया गया है!

Justice V. Ramaswami (1993)

→ Justice V. Ramaswami पंजाब हरियाणा High court के जज थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थें!

→ लोकसभा की समिति ने उन्हें दोषी पाया उनके खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया कांग्रेस के सदस्य उठ कर चले गए!

Justice Deepak Mishra (2018)

→ Justice Deepak Mishra 2018 में हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया 50 सदस्यों ने शुरूआत की परन्तु राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया (M. वेंकैया नायडू)!

NOTE:-

→ High court के न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया Supreme court के न्यायधीशों को हटाने की तरह है।

→ आज तक High court के किसी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है।

Justice Swanitra Sen (2011) (Calcutta High court)

→ 2011 में Calcutta High court के न्यायधीश Swanitra Sen पर राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया गया।

→ जाँच समिति ने दोषी पाया।

→ राज्यसभा में प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।

→ लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने से पहले इन्होनें इस्तीफा दे दिया।

Justice P.D. Dinakaran (2011) (Karnataka High court)

→ Justice P.D. Dinakaran को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया।

→ समिति ने दोषी पाया।

→ इन्होनें इस्तीफा दे दिया।

Article - 125

सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीशों का वेतन
Salary of Judges of the Supreme Court.

- जजों का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है।
- Supreme Court के मुख्य न्यायधीश का वेतन ₹ 2,80,000 प्रतिमाह।
- Supreme Court के अन्य न्यायधीशों का वेतन ₹ 2,50,000 प्रतिमाह।

Article - 126

सर्वोच्च न्यायलय के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति
Appointment of Acting Cheif Justice of the Supreme Court

- यदि मुख्य न्यायधीश अनुपस्थित छुट्टी पर या पद रिक्त है तो राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायधीश की नियुक्ति करेगा।

Article-127.

[सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायधीशों की नियुक्ति
Appointment of Ad hoc judges of the supreme court.]

→ Supreme court में न्यायधीशों का कोरम पूरा न होने पर अत: बैंच (पीठ) में जजों की संख्या पूरी न होने पर Supreme court का मुख्य न्यायधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायधीश की नियुक्ति करता है।

NOTE:-

→ तदर्थ न्यायधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायधीश करते हैं।

Article-128

[सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत न्यायधीश की नियुक्ति
Appointment of a Retired Judge to the supreme court.]

→ Supreme court के मुख्य न्यायधीश सेवानिवृत न्यायधीश को नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से।

NOTE:-

→ Supreme court के Ritired Judge किसी भी नियोजन में कार्य नहीं कर सकते हैं अत: नौकरी नहीं कर सकते हैं।

भारत के किसी न्यायलय में वकालत नहीं कर सकते हैं।

Article - 129

सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
Supreme Court to be Court of Record.

→ Supreme Court के द्वारा दिए गए सभी निर्णय साक्ष्य के तौर पर Record में रखे जाते हैं।

→ भारत का कोई भी न्यायालय Supreme Court के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता है।

न्यायिक अवमानना
Contempt of Court

→ Supreme Court के विरुद्ध अगर कोई निर्णय दिया तो अवमानना होगी।

→ Supreme Court के आदेश का पालन न करना।

→ Supreme Court के किसी न्यायधीश के खिलाफ कोई टिप्पणी करना।

ये सभी न्यायिक अवमानना के अंतर्गत आता है।

Article - 130

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान
Supreme Court Seat

→ Supreme Court का स्थान दिल्ली में स्थित है।

→ Supreme Court का मुख्य न्यायधीश राष्ट्रपति की अनुमति से Supreme Court की पीठ (Bench) और सुनवाई कर सकता है।

Article-131

[सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
Primary Jurisdiction of Supreme Court.]

→ Supreme Court की आरंभिक अधिकारिता इसका अर्थ है कि वो मामले जो सिर्फ Supreme Court सुन सकता है।

केन्द्र - राज्य ×
राज्य - राज्य] विवाद ✓
केन्द्र < राज्य, राज्य] कोई विवाद ✓

NOTE:-

→ अनुच्छेद - 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद सुनने का Supreme Court का अधिकार अनुच्छेद-131 अंतर्गत परिभाषित मूल आरंभिक अधिकारिता से नहीं आता है।

→ परन्तु यह सिर्फ Supreme Court का मूल क्षेत्र अधिकार है (व्यवहारिक)।

Article-132

→ अपराधिक मामले।
→ दीवानी मामले।
→ विधि का विशेष प्रकार।

Article - 133

[दिवानी मामलों में अपील
Appeal in civil cases]

→ High court दीवानी मामलों में प्रमाण पत्र जारी करता है।

Article - 134

[फौजदारी मामलों में अपील
Appeal in Criminal Cases]

→ यदि किसी मामले में जिला न्यायालय में किसी दोष मुक्त करार दे दिया और High court ने फाँसी दे दी तो मामला Supreme court में जाएगी।

Article - 134(A)

→ High court यदि Supreme Court जाने का प्रमाण पत्र देता है।

Article - 135

NOTE:- संघीय न्यायालय की सभी शक्तियाँ Supreme court को प्राप्त हो जाएगी।

Article - 136

[सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील
Special Appeal to the supreme court]

→ यदि किसी मामले में उच्च न्यायलय ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है तो supreme court में विशेष अपील की जा सकती है।

Article- 137

- Supreme Court अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुर्नवालोकन कर सकता है।

  जैसे:- बेरुवाड़ी वाद 1960.

  केशवानंदा भारती वाद 1973.

NOTE:-

- अनुच्छेद- 137 और न्यायिक पुर्नवालोकन (Judicial-Review) दोनों अलग-अलग है न्यायिक पुर्नवालोकन में Supreme-Court संसद की विधि का पुर्नवालोकन करता है।

Article- 138

[सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र में वृद्धि
Increase in the Jurisdiction of Supreme court]

- संसद Supreme Court के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है।

Article- 139

- Supreme Court को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

Article - 139 (A)

→ यदि कोई मामला दो उच्च न्यायालय में चल रहा है तो Supreme court ऐसे मामले उच्च न्यायालय की प्रार्थना AG या याचिकर्ता का प्रार्थना पर सुन सकता है।

Article - 141

→ Supreme Court द्वारा बनाया गया कोई भी विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आर्वत रूप से लागू होगा।

Article - 142

[सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय का सिद्धांत
Principle of absolute jutice of Supreme Court]

→ Supreme court पूर्ण न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद - 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है।

जैसे:- राजीव गाँधी के हत्यारों को न्याय में देरी होने के कारण छोड़ देना।

भाग - 6 (Article - 214 - 232)

उच्च न्यायालय
High Court

→ 1861 के High Court Act से भारत में 1862 में 3 High Court बने (कलकत्ता, मद्रास और बाम्बे) ये उस समय Supreme Court के तौर पर कार्य कर रहे थे (1866, Allahabad High Court)

→ 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी तब तक ये राज्यों में Supreme Court और High court दोनों का कार्य कर रहे थे।

→ Patna High Court की स्थापना 1916 में हुई थी, 1936 से Patna High court सिर्फ बिहार का High Court है।

Article - 214

→ प्रत्येक राज्य का एक अपना High court होगा भारत में 28 राज्य हैं परन्तु High court सिर्फ 25 हैं।

NoTE :-

→ संसद 2 राज्यों के लिए 1 High court का प्रावधान कर सकता है (अनुच्छेद - 231)।

संसद ने निम्नलिखित राज्य और UT के लिए common High Court का प्रावधान किया है

नाम	स्थापना	common	क्षेत्राधिकार	मुख्य पीठ व खण्ड पीठ
कोलकाता	1862	2.	प० बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह	कोलकाता (पोर्ट ब्लेयर में खण्ड पीठ)
मुम्बई	1862	3.	महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीव, गोवा	मुम्बई (नागपुर पणजी व औरंगाबाद में खण्ड पीठ)
मद्रास	1862	2.	तमिलनाडु और पुडुच्चेरी	मद्रास
पंजाब और हरियाणा	1947	3.	पंजाब हरियाणा तथा चंडीगढ़	चंडीगढ़
गुवाहाटी	1948	4.	असम नागालैंड मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश	गुवाहाटी (कोहिमा इम्फाल अगरतला और शिलांग में खण्ड पीठ
J&K	1928	2.	J&K लद्दाख	–
एर्नाकुलम	1956	2	केरल लक्षद्वीप	-

Article- 215

[उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
High Court to be Court of Record]

- High Court के निर्णय भी साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
- High Court के निर्णय की अवमानना की नहीं की जा सकती है।

Article- 217

[उच्च न्यायालय की न्यायधीशों की योग्यता
Qualifications of Judges of the High Court]

- भारत का नागरिक हो।
- 10 वर्ष तक High Court में वकील रहा हो।
- 10 वर्ष तक राज्य की न्यायिक सेवा में रहा हो।

NOTE:-

- राष्ट्रपति और राज्यपाल की नजर में जाना-माना विधिवेत्ता का प्रावधान High court में नहीं है।

[उच्च न्यायालय की न्यायधीशों की नियुक्ति Appointments of High Court Judges.]

→ High Court के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

→ संबंधित राज्य के राज्यपाल High court के 2 वरिष्ठ न्यायधीश से परामर्श करने उपरांत इसके बाद Supreme Court का कॉलेजियम अपना परामर्श देता है।

[उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की शपथ Oath of High Court Judges]

→ इनको शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति दिलाता है।

→ शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं।

[उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का वेतन Salary of High Court Judges]

→ High court के मुख्य न्यायधीश का वेतन ₹ 2,50,000 है।

→ High Court के अन्य न्यायधीशों का वेतन ₹ 2,25,000 है।

→ इनकी वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है।

→ इनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का कार्यकाल
Tenure of High Court Judges.

- अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक !
- त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है !
- पद से हटाया जा सकता है (जैसे supreme court को हटाने की प्रक्रिया है) !

उच्च न्यायालय के कार्य
Functions of the High court

रिट अधिकार क्षेत्र

- High court अनुच्छेद - 226 मे 5 प्रकार के रिट जारी करता है !
- एक 6ठी रिट अलग से जारी करता है जिसे Injuction कहते हैं !
- High court का रिट अधिकार क्षेत्र supreme court से बड़ा और अधिक होता है क्योंकि supreme court सिर्फ मौलिक अधिकार के संबंध रिट जारी करता है और High court मौलिक अधिकार + कानूनी अधिकार दोनो जारी करता है !

दीवानी अधिकार क्षेत्र

- अधीनस्थ न्यायलय के प्रमाण पत्र देने पर High court जा सकते है !

फौजदारी अधिकार क्षेत्र

- 7 वर्ष से ऊपर की सजा के सभी मामले !
- फाँसी की सजा बिना High court के पुनिरावलोकन के बिना नहीं की जा सकती !

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

सर्वोच्च न्यायलय (Supreme Court)	उच्च न्यायलय (High Court)
→ यह देश में सबसे ऊँचा न्यायलय है।	→ यह राज्य का सबसे ऊँचा न्यायलय है!
→ न्यायधीश सेवानिवृत 65 वर्ष।	→ न्यायधीश सेवानिवृत 62 वर्ष!
→ न्यायधीशों का वेतन भत्ता ~~और~~ भारत की संचित निधि से दिया जाता है।	→ न्यायधीशो का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से एवं पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है!
→ न्यायधीशों को संसद हटाता है!	→ न्यायधीशों को भी संसद हटाता है!
→ Supreme Court के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार और संघीय विवाद सुनने का अधिकार है!	→ High Court के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है!
→ Supreme Court अनुच्छेद-32 में रिट जारी करता है!	→ High Court अनुच्छेद-226 में रिट जारी करता है!
→ इसकी रिट पूरे भारत में लागू होती है!	→ इसकी रिट सिर्फ राज्य में लागू होती है!

NOTE:-

[जनहित याचिका
PIL:- Public Interest Letigation]

- भारत में जनहित याचिका के जनक Justice P.N. Bhagwati हैं।
- 1983 से, भारत में Supreme Court जनता के हित की याचिका किसी समूह संस्था या व्यक्ति के द्वारा दायर करने पर सुन लेता है।

[स्वयं संज्ञान
Sumutto]

- Supreme Court किसी भी मामले को अखबार, पत्रिका, समाचार आदि के माध्यम से किसी मामले को स्वयं संज्ञान ले सकता है।

KHAN GLOBAL STUDIES KARAN SIR

अधीनस्थ न्यायालय (Lower court)

Article - 233 - 237

Article-233

→ जिला न्यायधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
→ High Court के मुख्य न्यायधीश से परामर्श कर के!

[अधीनस्थ न्यायलय के न्यायधीशों की योग्यता
Qualification of subordinate court Judges]

→ 7 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहा हो!
→ High court ~~से~~ प्रमाणित करें!

Article-234

[जिला न्यायलय के अन्य न्यायधीश
Other Judges of the District court]

→ इनकी नियुक्ति राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर करता है!

NOTE:-

- ये Exam पास करके आते हैं!
- इनकी अधिकतम् आयु 60 वर्ष होती है!

Article-235

→ High Court अधीनस्थ न्यायलय का निरिक्षण छुट्टी प्रवेक्षण आदि करता है (अनुच्छेद-227, 228(B)) High Court के प्रवेक्षण पर संबंधित है।

जिला एवं सत्र न्यायलय

सिविल / दीवानी (Civil)	फौजदारी (Criminal)
→ वरिष्ठ सिविल न्यायधीश	→ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
→ प्रथम श्रेणी सिविल न्यायधीश	→ दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (Judicial Magistrate first class)
→ मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल न्याय धीश	→ दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी (Judicial Magistrate second class)

→ जिला न्यायधीश जिले के सबसे बड़ा न्यायधीश है जब ये सिविल मामले सुनता है तो जिला जज कहते हैं और जब ये फौजदारी मामले सुनता है तो सत्र न्यायधीश कहते हैं।

Article - 312

[अखिल भारतीय न्यायिक सेवा All India Judicial Service]

→ अब तक भारत में स्थापित नहीं है।

[फास्ट ट्रैक अदालतें Fast Track Court]

→ Fast track court जिला अदालतें के समान है।

→ 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर इनकी स्थापना की गई थी।

→ ये ऐसे विवादों का शीर्घ निपटारा करते है 5 वर्ष से अधिक समय तक अंडर ट्रायल जेल में है।

[अधिकरण Tribunals]

→ अधिकरण भी न्यायालय के समान ही होते है परन्तु इसमें निश्चित प्रकृति के मुकदमे आते है जैसे:- प्रशासनिक अधिकरण औद्योगिक विवाद श्रम विवाद इत्यादि।

→ अधिकरणों को 42वें संविधान संशोधन 1976 से भाग-14(क) के अंतर्गत अनुच्छेद - 323(A) और 323(B) में जोड़ा गया है।

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से भारत में लोक अदालतें की स्थापना की गई।
- ये मुफ्त और जल्दी न्याय आपसी समझौते के माध्यम से प्रदान करते हैं।

परिवार अदालतें
Family Court

- 1984 में संसदीय विधि के द्वारा पारिवारिक अदालतों की स्थापना की गई।
- जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक वहाँ परिवार अदालतें होंगी।
- राज्यों में राज्य उच्च न्यायालय की सलाह से इनकी स्थापना की जाती है।
- इनमें पति-पत्नी के विवाह संबंधी विवाद, पत्नी को गुजारा भत्ता, अल्पवयस्क बच्चों का हक का निर्धारण।

स्थानीय स्वशासन
Local Self Government

आजादी से पहले (Before Independence)

- भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी।

→ लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के नियमों का मैग्नाकार्टा पेश किया।

→ लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं।

NOTE:-

- 1919 के अधिनियम से केन्द्र सरकार पंचायती स्थानीय स्वशासन पर नियंत्रण करती थी।
- 1935 से राज्य सरकार का विषय बन गई।

आजादी के बाद (After Independence)

→ गाँधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को लागू करने के लिए अनुच्छेद -40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है।

भाग - 9 (Article - 243 - 243(O))

पंचायत

- 1952 में भारत सामुदायिक विकास कार्यक्रम फोर्ड फांउडेशन द्वारा अनुदानित इटावा के उत्तर प्रदेश मे हुआ था।
- 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत हुई।
- ये दोनों योजनाएँ जन सहभागिता के अभाव के कारण असफल हो रहे थे इन प्रोग्राम की जाँच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 का गठन हुआ।

बलवंत राय मेहता समिति 1957

- बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जन सहभागिता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

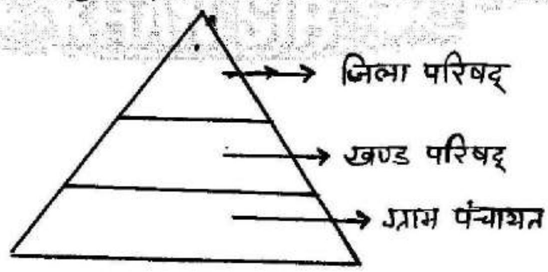

- 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

→ 02 Oct 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में पंचायती राज की नीव भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखी

→ इसके बाद आंध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल मध्यप्रदेश आदि ने पंचायतों को लागू किया

→ 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ इस समिति ने सिफारिशे दी -

(i) राजनीतिक दलो द्वारा पंचायतों का निर्वाचन

(ii) द्विस्तरीय पंचायत

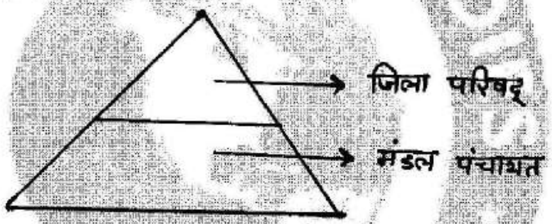

(iii) न्याय पंचायत का प्रावधान

(iv) राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था

(v) आरक्षण का प्रावधान

→ इस समिति की सिफारिशों को सरकार गिर जाने के कारण लागू नहीं किया गया

→ दांते वाला समिति 1978.

G.V.K. Rao समिति 1985

→ इस समिति ने पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा
→ राज्य वित्त आयोग की सिफारिश की।

L.M. Singhvi समिति 1986.

→ इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा।
→ राज्य निर्वाचन।
→ राज्य वित्त आयोग।
→ आरक्षण।
→ राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं।

P.K. Thugan समिति, 1988

→ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की संरचना।
→ L.M. Singhvi समिति की सिफारिशों पर विचार करना।
→ पंचायतों को संघ सूची का विषय बनाया जाए।

B.N. गाडगिल समिति 1988

→ महिला आरक्षण !
→ राज्य निर्वाचन आयोग!
→ राज्य वित्त आयोग!

सरकार के प्रयास

64वाँ संविधान संशोधन विधेयक 1989 को राजीव गाँधी की सरकार ने पेश किया परन्तु पारित नहीं हो सका

1990 में वी.पी. सिंह सरकार विधेयक लेकर आयी परन्तु सरकार गिर गई

1991 में नरसिंह राव की सरकार बनी और सरकार ने 73वाँ संविधान संशोधन पारित किया और

24 April 1993 को 73वाँ संविधान संशोधन को लागू किया गया

24 April को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है

73वाँ संविधान संशोधन को प्रथम राज्य मध्यप्रदेश ने लागू किया

73वाँ संविधान संशोधन 1992

इस संशोधन से 11वीं अनुसूची 29 विषय
संविधान का भाग -9 अनुच्छेद - 16 (243 - 243(O)
जोड़ा गया

Article - 243

[ग्राम सभा]

→ ग्राम सभा सबसे नीचे की ईकाई है !

→ ग्राम सभा में ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या ग्राम सभा की संख्या है !

Article - 243 (A)

→ ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा !

NOTE:-

→ पंचायतें राज्य सूची का विषय है !

Article - 243 (B)

[पंचायतों की संरचना
Structure of Panchayats]

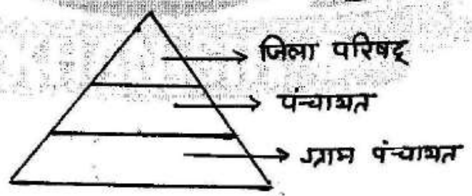

→ राज्यों की संख्या 20 लाख से होगी वहाँ मध्यवर्ती / खण्ड पंचायत / पंचायत समिति नहीं होगी !

Article- 243 (C)

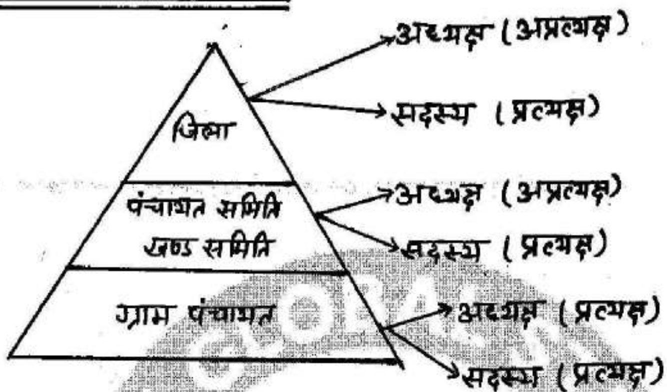

Article - 243 (D)

[पंचायतों में आरक्षण
Reservation in Panchayats.]

→ 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिला SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान जनसंख्या के अनुपात में किया गया है।

→ महिलाओं के लिए कम से कम कुल सीट की 1/3 सीटें आरक्षित करनी होगी।

→ राज्य का विधान मंडल आरक्षण के संबंध मे प्रावधान कर सकता है।

→ राज्य विधान मंडल महिला आरक्षण को बढ़ा सकता है कम नहीं कर सकता।

→ बिहार मध्यप्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश राजस्थान और केरल ने पंचायत में महिलाओं की भागीदारी 50% कर दिया गया है।

Article-243 (E)

[पंचायतों का कार्यकाल
Tenure of Panchayats]

- पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है प्रथम बैठक से।
- यदि पंचायत समय से पहले भंग होती है तो दो परिस्थिति होती हैं।

  1. 6 महीनें से अधिक का समय।
     - पंचायत बचे कार्यकाल के लिए गठित होती है।
  2. 6 महीनें से कम का समय
     - पंचायत अगली पूर्ण 5 वर्ष के लिए गठित होती है।

Article-243 (F)

[पंचायत सदस्यों की योग्यताएँ
Qualification of Panchayat Members]

- भारत का नागरिक हो।
- 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- राज्य का विधान मंडल पंचायतों की सदस्यों का निर्धारण करता है।
- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में पंचायतों की सदस्यों की अलग-अलग अर्हताएँ हैं।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

NOTE:-

→ पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका युवा मतदान करेगा।

Article-243(G)

**[पंचायतों के कार्य
Functions of Panchayats]**

→ पंचायतें 29 विषयों के संबंध में कानून का क्रियांवन करवाती हैं।

→ सामाजिक आर्थिक और न्यायिक से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लागू कराती हैं।

→ कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, मत्स्य उद्योग, पशुपालन, ग्रामीण आवास, लघु वन उपज, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, और पुस्तकालय, बाजार और मेले महिला और बाल विकास।

**[पंचायतों का वित्तीय अधिकार
Article - 243(H) - 243(J)]**

↓

Article-243(H)	Article-243(I)	Article-243(J)
कर लगाने का अधिकार विधान मंडल निर्धारित मेला कर	राज्य का वित्त आयोग	विधान मंडल

Article- 243(H)

[कर लगाने का अधिकार
Right to Tax]

- पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है।
- राज्य विधान मंडल यह निर्धारित करता है कि पंचायतें क्या कर किस दर से लगाएँगी।

Article- 243(I)

[राज्य का वित्त आयोग
State Finance Commission]

- राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा।
- प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन होगा।
- राज्य वित्त आयोग के कार्य अवधि का निर्धारण राज्य विधान मंडल करेगा।

[राज्य वित्त आयोग का कार्य
Functions of State Finance Commission]

- राज्य की संचित निधि से स्थानीय स्वशासन को कितना धन दिया जाएगा इसका निर्धारण करता है।
- राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है जो की इसे विधान मंडल के पटल पर रखवाती है।

Article- 243(J)

→ पंचायतें / स्थानीय - Audit करने की शक्ति राज्य का विधान मंडल में निहित है!

Article-243(K)

राज्य का निर्वाचन आयोग
State Election Commission

→ राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल करता है!

→ राज्य के निर्वाचन आयोग में 1 सदस्य होता है जिसे राज्य का निर्वाचन आयुक्त कहते हैं!

→ निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है!

→ इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है!

→ राज्य के निर्वाचन आयुक्त को High Court के न्यायधीशों के भाँति पद से हटाया जाता है अतः संसद इसे हटाता है!

राज्य का निर्वाचन आयोग का कार्य
Functions of State Election Commission

→ राज्य में पंचायतों का निर्वाचन करवाना!

→ निर्वाचन की सूची तैयार करना!

→ मत पत्र तैयार करना!

→ चुनाव चिन्ह प्रदान करना!

→ निर्वाचन संहिता तैयार करना!

Article - 243(L)

→ संघ शासित क्षेत्र के लिए पंचायत !

Article - 243(M)

→ 11वीं अनुसूची या 73वां संविधान संशोधन 1992 कहाँ - कहाँ लागू नहीं होगा !

→ मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग !

→ अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण का प्रावधान नहीं है !

Article - 243(N)

→ 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के 1 साल के अंतर्गत हर राज्य पंचायत का गठन करेगा !

Article - 243(O)

→ पंचायतों के चुनाव का परिसीमन क्षेत्र का आवंटन में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी !

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

PESA ACT-1996
(Panchayat Extension in Scheduled Area)

→ दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन 1994 में किया गया था जिसने पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने के लिए अनुशंसाएँ दी।

→ 5वीं अनुसूची के राज्य - 10 राज्य

छत्तीसगढ़ - झारखंड
महाराष्ट्र - गुजरात
मध्यप्रदेश - राजस्थान
हिमाचल प्रदेश - उड़ीसा
तेलंगाना - आंध्र प्रदेश

→ जहाँ अनुसूचित जनजाति रहती है वहाँ PESA ACT लागू होता है।

NOTE:-

→ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियाँ अत्यधिक होती हैं।

→ पत्थर गड़ी आंदोलन अनुसूचित क्षेत्रों के द्वारा शुरू किया गया था ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में।

भाग - 9(A) (Article-243(P) - 243(ZG))

नगर-पालिका (Municipality)

12 - अनुसूची
18 - विषय
18 - अनुच्छेद

→ नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 01 June 1993 को लागू किया गया !

Article-243(P)

नगर पालिका की संरचना
Structure of Municipality

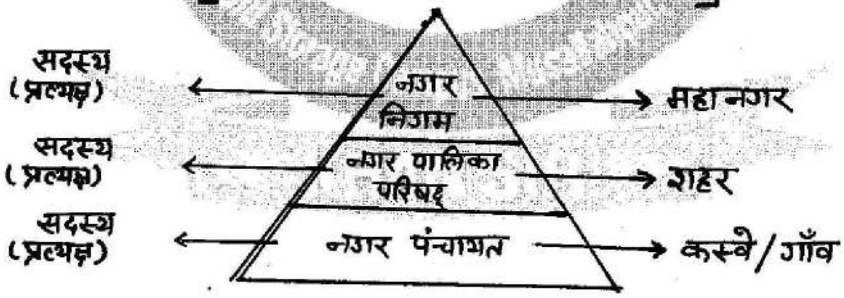

NOTE:-

→ अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा राज्य विधान मंडल तय करेगा !

Article- 243(T)

→ नगर पालिका का आरक्षण का प्रावधान है !

Article- 243 (Y)

→ राज्य का वित्त आयोग !

Article- 243 [redacted] Z(D)

[जिला योजना समिति
District Planning Committee]

→ जिला योजना समिति नगर पालिका में विकास संबंधी कार्य करती है !

→ 2/3 सदस्य नगर पालिका के होते हैं बाकी सदस्य नामित होते हैं !

Article- 243 Z(E)

[महानगर योजना समिति
Metropolitan Planning Committee]

→ महानगर में विकास कार्य करती है !

भाग - 18

आपातकाल
Emergency.

- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद - 352)
- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद - 356)
- वित्तिय आपातकाल (अनुच्छेद - 360)

Article - 352

राष्ट्रीय आपातकाल
National Emergency

→ वर्तमान में बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करती है !

NOTE:-

→ आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया और वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह नाम के शब्द का प्रयोग किया गया है !

उद्घोषणा (Proclamation)

→ मंत्रीमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है।

NOTE:-

→ मंत्री परिषद् की लिखित सिफारिश पर नहीं।

संसद का अनुमोदन (Approval of Parliament)

→ राष्ट्रपति के उद्घोषणा के एक महीनें के अंदर संसद के द्वारा इसका अनुमोदन होता है।

→ प्रत्येक सदन अपने विशेष बहुमत से (उपस्थित और मतदान का) 2/3 प्रस्ताव को पारित करेगा।

→ प्रस्ताव को पारित होने पर आपातकाल 6 महीनें के लिए लागू रहता है।

→ हर 6-6 महीनें के अंदर संसद अनिश्चित काल के लिए आपातकाल को आगे बढ़ा सकता है।

आपातकाल को हटाना
Removal of Emergency

→ राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं बिना संसद के अनुमोदन के।

→ लोकसभा का 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को लिखकर देंगे तब हट सकता है।

→ संसद साधारण बहुमत से हटा सकता है।

NOTE :-

→ राष्ट्रीय आपातकाल को लगाना कठिन है हटाना उतना ही आसान है।

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव
Effects of National Emergency

1. विधायिका पर प्रभाव
2. कार्यपालिका
3. मौलिक अधिकार
4. राज्य विधायिका / वित्त प्रभाव

[विधायिका पर प्रभाव
Influence on the Legislature]

→ लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक साल के लिए आगे बढ़ जाता है (5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971-77)।

[राज्य की विधायिका पर प्रभाव
Influence on the state Legislature]

→ राज्य की विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष में एक बार बढ़ जाता है।

→ राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य की विधानसभा भंग नहीं होती बल्कि इसकी विधि निर्माण की शक्ति संसद या संघ सरकार के पास चली जाती है।

→ अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास विहित होती है।

→ ~~अध्यादेश~~ एक प्रकार से संघात्मक प्रकृति से एकात्मक प्रकृति के तरफ हो जाता है।

कार्यपालिका पर प्रभाव
Impact on executive

→ राज्य की कार्यपालिका केन्द्र की पूर्ण नियंत्रण मे आ जाती है केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सभी प्रकार के निर्देश दे सकते हैं।

मौलिक अधिकार पर प्रभाव
Impact on fundamental Rights

→ अनुच्छेद - 358 के अनुसार अनुच्छेद - 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएँ राष्ट्रपति के उद्घोषणा के साथ समाप्त हो जाती हैं।

→ अनुच्छेद - 359 के अनुसार राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों की समाप्ति के लिए अलग से उद्घोषणा कर सकता है अनुच्छेद - 20 एवं 21 को छोड़कर।

NOTE :-

→ अत: अनुच्छेद - 20 एवं 21 राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं।